		अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा 212 R.T Act हेतु दिनांक 4/02/25 को पेश हो। 3/1/25	
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थीगण उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w. O 39 R 1&2 CPC के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम घतुरियाकलां की वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी क्रम 1 गुमानसिंह के खाते दर्ज है और प्रार्थीगण की पैतृक आराजी है। अतः Hindu succession Act 1956 के अनुसार जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। It is well settled legal position है कि कोई सम्पत्ति किसी हिन्दू की पैतृक सम्पत्ति मानी जायेगी यदि वह चतुर्थ पुरुष पीढ़ी से अविभाजित रूप मे विरासत मे प्राप्त हुई है। 2. Shyam Narayan Prasad Vs Krishna Prasad (2018) प्रकरण मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "12. It is settled that the property inherited by a male Hindu from his father, father's father or father's father's father is an anc[illegible]perty. The essential feature o[illegible] according to Mitakshara Law [illegible] and great grandsons of the person [illegible] inherits it, acquire an interest and the rights attached to such property at the moment of their birth. The share	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.04 12:35:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
	which a co-parcener obtains on partition of ancestral property is ancestral property as regards his male issue. After partition, the property in the hands of the son will continue to be the ancestral property and the natural or adopted son of that son will take interest in it and is entitled to it by survivorship." 3. इसी प्रकार S. Sampoornam Vs. C.K. Shanmugam 2022 मे माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने भी अभिनिर्धारित किया है कि "fourth male Generation से अविभाजित रूप से विरासत मे प्राप्त property. एक हिन्दू की पैतृक संपत्ति होगी". 4. Sarvamma Vs. V.R. Virupakshaiah, 2010 SCC online Kar 136 मामले मे माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट मे कहा है कि " Ancestral is inherited up to four generations of male lineage and must remain undivided throughout the period of lineage." 5. Gurdip Kaur Vs. Ghamand Singh, 1964 SCC online Punj 180 मामले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि " ancestral property was said to be a property inherited from father, father's father or great grand father." 6. प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम ग्राम धतुरिया कलां के खाता सं० 114, [illegible] व 173 [illegible] संवत 2033-76 के आधार पर [illegible] साबित नहीं [illegible] प्रार्थीगण द्वारा [illegible] documentary and oral evidence [illegible] गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र u/s 212 RTA स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.04 12:35:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner